सं0स0–1/विविध–30/2016– 540 (7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 20/03/2025

विषयः– **"विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत 16 (सोलह) मुख्यमंत्री निश्चय बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास निर्माण हेतु प्रति ईकाई रु0 26,49,76,000/–(रुपये छब्बीस करोड़ उन्चास लाख छिहत्तर हजार) मात्र की दर से कुल रु0 4,23,96,16,000/– (रुपये चार अरब तेईस करोड़ छियानवे लाख सोलह हजार) मात्र की लागत पर, वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजना की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under Part-I" अंतर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में इस परियोजना हेतु रू० 60,00,00,000/– (रूपये साठ करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश स0–934(1) दिनांक–18.07.2016 द्वारा "विकसित बिहार के सात निश्चय" अतर्गत 16 (सोलह) मुख्यमंत्री निश्चय बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज एव छात्रावास निर्माण हेतु प्रति ईकाई रु0 26,49,76,000/–(रुपये छब्बीस करोड उन्चास लाख छिहत्तर हजार) मात्र की दर से कुल रु0 4,23,96,16,000/– (रुपये चार अरब तेईस करोड छियानवे लाख सोलह हजार) मात्र की लागत पर, वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

2– उक्त योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु भारत सरकार, वित्त मत्रालय के पत्रांक-- F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar-SACE-54, Dated: 24.01.2025 एवं F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar, Dated: 24.01.2025 तथा वित्त विभाग के पत्रांक–69/वि०, दिनांक–27.01.2025 के द्वारा "Under Part-I" अतर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप मे स्वास्थ्य विभाग को भुगतान हेतु रू० 85.14 करोड की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान समय में तृतीय अनुपूरक आगणन से इस मद में 60.00 करोड की राशि प्राप्त हुई है।

3– उक्त परिप्रेक्ष्य में "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत 16 (सोलह) मुख्यमंत्री निश्चय बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास निर्माण हेतु प्रति ईकाई रु0 26,49,76,000/–(रुपये छब्बीस करोड उन्चास लाख छिहत्तर हजार) मात्र की दर से कुल रु0 4,23,96,16,000/– (रुपये चार अरब तेईस करोड छियानवे लाख सोलह हजार) मात्र की लागत पर, वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजना की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 मे भारत सरकार के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under Part-I" अंतर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में इस परियोजना हेतु रू० 60,00,00,000/– (रूपये साठ करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4–इस योजना हेतु अब तक आवटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0 स0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	आवंटनादेश सं0 एवं दिनांक
1	2016–17	30,00,00,000/–	सं0–41(1)ब0, दिनांक–11.08.2016
2	2017–18	30,00,00,000/–	स0–30(1)ब0, दिनांक–21.08.2017
3	2018–19	120,00,00,000/–	सं0–39(1)ब0, दिनांक–29.08.2018
4	2021–22	8,28,30,000/–	स0–413(1)ब0, दिनांक–17.06.2021

5	2021–22	8,03,20,000/–	स0–305(7), दिनाक–08 02 2022
6	2022–23	16,50,00,000/–	सं0–74(7), दिनाक–20 06 2022
7	2022–23	16,00,00,000/–	स0–190(7), दिनाक–09 09 2022
8	2022–23	17,50,00,000/–	स0–591(7), दिनांक–20 03.2023
9	2023–24	10,00,00,000/–	सं0–522(7), दिनांक–22 02 2024
10	2024–25	2,00,00,000/–	सं0–353(7), दिनांक–13 01 2025
कुल योग–		**2,58,31,50,000/–**	

5– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश सं0–934(1) दिनाक–18 07 2016 मे वर्णित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

6– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17 04 98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05 06, 2938/वि0(2), दिनाक–08 04 08 एव 12888/वि०, दिनाक–03 12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

7–इस राशि के व्यय का वहन माग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0119–बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज (निश्चय), विपत्र कोड–20–4210031050119 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0119–53–01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में बजटीय उपबंधित/तृतीय अनुपूरक आगणन राशि से किया जायेगा।

8– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

9–वित्त विभागीय पत्र सख्या–632वि०, दिनाक–04.07 2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या–10792/वि०, दिनाक–06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment वित 2024 25 के लिए पूंजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (ठडैप्ब्स्) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001के अन्तर्गत ledger ID----------में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैक खाते में हस्तान्तरित कर दिशा–निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

10–वित्त विभागीय पत्रांक–432/वि०, दिनांक–29 03.2023 एवं पत्रांक–69/वि०, दिनांक–27.01.2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

11– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

12– प्रारूप मे आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0स0–1/विविध–30/2016 के पृष्ठ–...67../टि0 पर प्राप्त है।

13–राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14–यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(शैलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः—1/विविध—30/2016— 540 (7) /स्वा0, पटना, दिनाक—20/03/2025

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिलाधिकारी, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—7 एव लेखा शाखा (दो प्रतियो मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव